(24) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इस रिट याचिका की अनुमति है।याचिकाकर्ता के चुनाव को अमान्य घोषित करने वाले प्रतिवादी के आदेश संलग्नक पी. 3, जो संलग्नक आर. 3 पर आधारित है, को रद्द कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।जिन चार मतपत्रों को अलग किया गया था, उन्हें जल्द से जल्द पंजाब के उप महाधिवक्ता श्री एस. एस. शेरगिल को सौंपने का आदेश दिया गया है।

भुगतान पर दस्ती।

माननीय ए. एल. बहरी और एन. के. कपूर, न्यायाधीश

मोहम्मद एम्मेड इलयास.-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा पर्यटन निगम और अन्य,-प्रतिक्रियादाता।

***1993 का* सी. *डब्ल्यू.* पी. सं. 15368।**

23 सितंबर, 1994

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227–औद्योगिक *विवाद*

अधिनियम, *1947-धारा 10 (1)* संदर्भ-क्या उपयुक्त *न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत* एक *संदर्भ आवेदन पर निर्णय लेते समय तथ्य* के विवादित *प्रश्न पर जा सकता* है?

निर्णय यह दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का खंड 10 (1) उपयुक्त सरकार को विवाद को संदर्भित करने की शक्ति देता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार को इस मामले पर विचार करना होगा कि क्या मांगा गया संदर्भ दिया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए, यानी उसे संदर्भ नहीं देने के कारणों को दर्ज करना होगा।संदर्भ का निर्णय करते समय, उपयुक्त सरकार तथ्य के विवादित प्रश्न का निर्णय नहीं ले सकती है।खंड 10 (1) द्वारा जो *कुछ भी* परिकल्पित किया गया है वह यह है कि क्या उठाया गया विवाद प्रथमदृष्टया निर्णय के *योग्य है या वह स्पष्ट रूप* से *तुच्छ है या स्पष्ट रूप से विलंबित* है।बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड अदर्स बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे और एक अन्य, ए. आई. आर. 1964 सुप्रीम कोर्ट 1617 में सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के खंड 10 (1) के दायरे और दायरे की विस्तार से जांच की।

(पैरा 7)

एन. के. नगर अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के *लिए।*

एल. एन. वर्मा अधिवक्ता और *अधिवक्ता अशोक वर्मा* प्रतिवादी की ओर से ।

Mohd. Arnmed Ilyas *v.* Haryana Tourism Corporation and others (N. K. Kapoor, J.)

निर्णय

एन. के. कपूर न्यायाधीश

(1) याचिकाकर्ता अनुरोध कर रहा है कि अनुलग्नक P1, P5, और P10 को रद्द किया जाए, साथ ही धारा 9(b) को असंवैधानिक घोषित किया जाए, जो प्रतिस्पर्धी स्थायी आदेशों द्वारा तैयार किए गए हैं, और संविधान के खिलाफ हैं, और साथ ही अनुरोधी नंबर 4 को श्रम न्यायालय में भेजने के लिए मंडामस का आदेश जारी किया जाये।

(2) याचिकाकर्ता का चयन किया गया और 15 जून, 1977 के नियुक्ति पत्र *के* माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 के तहत काउंटर प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया।याचिकाकर्ता के अनुसार, वह अप्रैल, 1990 के महीने में किसी भी हिस्से से किसी भी शिकायत के बावजूद अपने कर्तव्यों का लगन से पालन कर रहे थे कि उन्हें बलभगढ़ से बहादुरगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ वे 19 अप्रैल, 1990 को शामिल हुए थे।यह आगे कहा गया है कि पर्यटक परिसर निर्माणाधीन था और इसलिए याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने के लिए कोई सामान्य काम नहीं था।यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण

या कारण के तेरह बार स्थानांतरित किया गया था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान था और इसलिए वह थोड़े समय के लिए अपने कर्तव्यों में शामिल नहीं हुआ।5 अगस्त, 1990 को उन्होंने अपने मानसिक अवसाद से सुधार किया और कार्यालय आए लेकिन उन्हें कोई कर्तव्य नहीं सौंपा गया।12 अगस्त, 1990 को उन्हें 3 अगस्त, 1990 के समाप्ति आदेश की एक प्रति दी गई थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा पूरी तरह से अवैध और अनुचित होने के लिए चुनौती दी गई थी।5 अप्रैल, 1991 को सहायक श्रम आयुक्त-सह-सुलह अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ की अदालत में एक मांग नोटिस दायर किया गया था, जिसे 2 जुलाई, 1991 को खारिज कर दिया गया था।इस आदेश को 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 1753 में चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को याचिकाकर्ता के मामले को राज्य सरकार को यह विचार करने के उद्देश्य से भेजने का निर्देश दिया था कि *क्या* याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के योग्य है।27 अगस्त को संचार के माध्यम से।,1993 (अनुलग्नक पी-10), सरकार के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित किया जा रहा है।

(3) न्यायालय द्वारा जारी प्रस्ताव के नोटिस के अनुसार, प्रतिवादी की ओर से 1 से 3 तक लिखित बयान दायर किया गया है।याचिका में किए गए विभिन्न भौतिक कथनों का खंडन किया गया है।यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के बलभगढ़ से बहादुरगढ़ स्थानांतरण पर,-30 *मार्च* 1990 के आदेश के अनुसार,

वह 19 अप्रैल, 1990 को बहादुरगढ़ में शामिल हुए और केवल एक दिन वहां काम किया और उसके बाद बिना किसी स्वायत्त अवकाश या इस संबंध में किसी सूचना के अनुपस्थिति रहे।उन्होंने हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा बनाए गए प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 9 (बी) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया।संबंधित खंड इस प्रकार हैः–

> "यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के 8 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थिति रहता है, तो उसे स्वेच्छा से सेवा छोड़ने वाला माना जाना चाहिए।"

इस प्रकार, चूंकि याचिकाकर्ता की अभाव बिना किसी कारण के थी, इसलिए प्रतिवादी उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता ने नौकरी छोड़ दी थी और इसलिए पारित आदेश ऊपर निर्दिष्ट स्थायी आदेशों के खंड 9 (बी) के अनुरूप है।प्रतिवादी ने संयुक्त सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर अस्वीकार/अस्वीकार करते हुए उचित ठहराया कि यह कानून के अनुरूप है।

(4) प्रतियोगी, अनुलग्नक P10 के आदेश को चुनौती देने के दौरान यह दावा किया गया है कि प्रतिस्पर्धी संख्या 5 को संदर्भ में इनकार

करने का कोई अधिकार नहीं था और वास्तव में, क्या प्रार्थी इसके निर्णय के खिलाफ एक कामगार के न्यायालय में आता है, और क्या विवाद, जो कामगारों द्वारा उठाया गया है, न्याय के हक़दार है।इस तरह, सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार ने अपनी शक्तियों से परे यात्रा की और इस प्रकार आदेश संलग्नक पी-10 अवैध और अस्थिर है।स्थायी आदेश के नियम 9 (बी) के तहत हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए, वकील ने आग्रह किया कि यह नियम स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और अन्यथा प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है क्योंकि इस संबंध में आदेश पारित होने से पहले कर्मचारी की अनुपस्थिति में के *संबंध में किसी भी जांच की परिकल्पना* नहीं *की गई है।टेल्को कॉन्वॉय ड्राइवर्स मज़दूर संघ और अन्य बनाम बिहार प्रदेश और अन्य (1) पंजाब भूमि विकास* और *सुधार निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम* न्यायालय, *चंडीगढ़ और अन्य (2) और डी. के.* यादव बनाम जे. *एम. ए.* इंडस्ट्रीज *लिमिटेड (3)।*

(5) अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि संदर्भ को अस्वीकार करने वाला आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित है।अधिवक्ता के अनुसार,

(1) 1989 (2) हाल के सेवा निर्णय 674।

(2) (1990) 3 एस. सी. मामले 682।

.(3) 1993 (3) एस. सी. मामले 259।

Mohd. Arnmed Ilyas *v.* Haryana Tourism Corporation and others (N. K. Kapoor, J.)

याचिकाकर्ता ने एक दिन के लिए बहादुरगढ़ में काम किया, यानी 19 अप्रैल, 1990 को और उसके बाद लगभग चार महीने तक अपने कर्तव्यों में शामिल नहीं हुए।उनकी अभाव विभाग को बिना किसी सूचना के थी।वकील के अनुसार, स्थायी आदेश याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते *हैं-स्थायी* आदेश के खंड 9 (बी) के अनुसार।यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थिति है।8 दिनों से अधिक समय तक, माना जाता है कि उसने स्वेच्छा से सेवा छोड़ दी है।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता 43 दिनों तक अनुपस्थिति रहा और वह भी बिना किसी अनुमति के और न ही प्रतिवादी द्वारा औपचारिक आदेश के संचार तक इस संबंध में उसके द्वारा कोई जानकारी दी गई थी।चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से सेवा छोड़ दी है, इसलिए ऐसा कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित 'छंटनी' के दायरे में नहीं आता है और इस तरह, औद्योगिक विवाद अधिनियम की खंड 25-एफ के प्रावधानों का पालन न करना वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होता है।सरकार द्वारा संदर्भ को अस्वीकार करने को उचित ठहराते हुए, बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य और एक अन्य *(4) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के* निर्णय *द्वारा समर्थन मांगा गया था।*

(6)हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी प्रस्तुतियों के दौरान निर्दिष्ट विभिन्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है।तथ्य विवाद में नहीं हैं, अर्थात, याचिकाकर्ता 15 जून, 1977 को काउंटर इंचार्ज के रूप में शामिल हुआ और लगभग 13 वर्षों की अवधि में कई स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था, अंत में बहादुरगढ़ में जहां वह लगभग 43 दिनों तक अपने कर्तव्य से दूर रहा।मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने छुट्टी के लिए कोई अनुमति नहीं ली और न ही किसी भी तरह से प्रतिवादी को इस संबंध में सूचित किया।प्रतिवादी ने स्थायी आदेश के नियम 9 (बी) के आधार पर यह अनुमान लगाया कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से सेवा छोड़ दी है, क्योंकि वह 8 दिनों से अधिक समय से अनुपस्थिति था और यह *जानकारी* याचिकाकर्ता को भेजी गई थी-दिनांक 3 अगस्त, 1990 (अनुलग्नक पी-1) के संचार के माध्यम से।याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह का आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रतिवादी का तर्क है कि हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा बनाए गए स्थायी आदेश अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं और इसलिए स्थायी आदेशों के संदर्भ में पारित आदेश को अनुचित या प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन

नहीं माना जा सकता है।प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की अभाव को 8 दिनों से अधिक समय तक माना है।

(4) ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1617.

स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का मामला होना।औद्योगिक विवाद अधिनियम की खंड 2 (oo.) में कहा गया हैः–

" "छंटनी' का अर्थ है किसी भी कारण से कर्मचारी की सेवा के नियोक्ता द्वारा समाप्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से दी गई सजा के अलावा, लेकिन इसमें शामिल नहीं हैः

(a) कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति; या

(b) सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति यदि नियोक्ता और संबंधित कर्मचारी के बीच रोजगार के अनुबंध में उस संबंध में कोई शर्त है; या

(बी) नियोक्ता और संबंधित कर्मचारी के बीच रोजगार अनुबंध की समाप्ति पर उसके नवीनीकरण न होने के परिणामस्वरूप कर्मचारी की सेवा की समाप्ति या इस तरह के अनुबंध को उसमें निहित एक शर्त के तहत समाप्त किया जा रहा है; या

(c) निरंतर अस्वस्थता के आधार पर एक कर्मचारी की सेवा की समाप्ति;

परिभाषा के एक सीधे पठन से पता चलता है कि यह कर्मचारी की

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति को इसके दायरे से बाहर करता है यदि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच रोजगार के अनुबंध में इस संबंध में एक शर्त है।इस प्रकार, लेकिन इस बहिष्करण के लिए, उपरोक्त श्रेणियां छंटनी की सर्वव्यापी परिभाषा में आती हैं।वर्तमान मामले में, स्थायी आदेश के नियम 9 (बी) को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के खिलाफ एक धारणा तैयार की जा रही है, अन्यथा यह अनुमान लगाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है।किसी भी मामले में, यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच एक उपयुक्त न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर करनी होती है।

(7) धारा 10 (1); औद्योगिक विवाद अधिनियम उपयुक्त सरकार को विवाद को संदर्भित करने का अधिकार देता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार को इस मामले पर विचार करना होगा कि क्या एक संदर्भ मांगा गया है जिसे उसने स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है, अर्थात।इसे संदर्भ नहीं देने के कारणों को दर्ज करना होता है।संदर्भ का निर्णय करते समय, उपयुक्त सरकार तथ्य के विवादित प्रश्न का निर्णय *नहीं ले* सकती है।खंड 10 (1) द्वारा जो कुछ भी परिकल्पित किया गया

है, वह यह है कि क्या प्रथमदृष्टया उठाया गया तिरस्कार न्यायनिर्णयन के योग्य है या वह स्पष्ट रूप से तुच्छ है -

स्पष्ट रूप से विलंबित।बॉम्बे यूनियन *ऑफ जर्नलिस्ट्स में सर्वोच्च न्यायालय और।अन्य बनाम* बॉम्बे *राज्य और एक अन्य (5) ने* औद्योगिक विवाद अधिनियम की खंड 10 (1) के दायरे और दायरे की विस्तार से जांच की। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैंः–

> "यह सच है कि यदि विचाराधीन विवाद कानून के सवाल उठाता है, तो उपयुक्त सरकार को कानून के उक्त प्रश्नों पर अंतिम निर्णय तक पहुंचने का इरादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह आम तौर पर औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है।इसी तरह, तथ्य के विवादित प्रश्नों पर, उपयुक्त सरकार अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का इरादा नहीं रख सकती है, क्योंकि वह फिर से औद्योगिक न्यायाधिकरण का प्रांत होगा।लेकिन इस अभिवाक् प्रतिगृहीत करना करना संभव नहीं होगा कि उपयुक्त सरकार विवाद के गुण-दोष पर प्रथमदृष्टया भी *विचार करने* से वंचित है जब वह इस सवाल का फैसला करती है कि क्या संदर्भ देने की उसकी शक्ति का प्रयोग खंड 10 (1) के तहत किया जाना चाहिए जिसे खंड 12 (5) के साथ पढ़ा जाए या नहीं।यदि किया गया दावा स्पष्ट रूप से

तुच्छ है, या स्पष्ट रूप से विलंबित है, तो उपयुक्त सरकार संदर्भ देने से इनकार कर सकती है।इसी तरह, यदि क्षेत्र में नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सामान्य संबंधों पर दावे का प्रभाव प्रतिकूल होने की संभावना है, तो उपयुक्त सरकार यह तय करने में इसे ध्यान में रख सकती है कि कोई संदर्भ दिया जाना चाहिए *या* नहीं।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि गुण-दोष की प्रथमदृष्टया जांच को उस जांच के लिए विदेशी नहीं कहा जा सकता है जो उपयुक्त सरकार खंड 10 (1) के तहत विवाद से निपटने में करने की हकदार है, और इसलिए, यह तर्क कि उपयुक्त *सरकार ने* अपीलकर्ता 2 और 3 की सेवाओं की समाप्ति की प्रकृति पर अपने प्रथमदृष्टया विचार व्यक्त करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

(8) . *डी. के.* यादव *बनाम जे. एम.* ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड (6), सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने स्थायी आदेशों के तहत सेवा समाप्त करने के निजी नियोक्ता के अधिकार की जांच की और कहा कि स्थायी आदेश प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों और भारत के संविधान के अनुच्छेद

14 और 21 के अधिदेशों के अनुरूप होने चाहिए।इसने आगे कहा कि स्वीकृत अवकाश की अवधि के बिना या उससे आगे अभाव पर प्रमाणित स्थायी आदेशों के तहत स्वचालित समाप्ति

(5) ए. टी. आर. 1964 एस. सी. 1617

(6) 1993 (3) एस. सी. मामले 259।

8 दिनों से अधिक प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि कर्मचारी को अपने आचरण की व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इन और अन्य संबंधित मामलों की अदालत द्वारा संबंधित पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर जांच की जानी बाकी है।संबंधित वकील द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों के गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी वास्तव में एक या दूसरे पक्ष के मामले को प्रभावित करेगी।फिर भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचार किए गए विभिन्न बिंदुओं की गहन जांच की आवश्यकता है और इसलिए, मामले को सरकार द्वारा अपने निर्णय के लिए एक उपयुक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए था।तदनुसार, रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, हम प्रतिवादी-हरियाणा सरकार को निर्देश देते हैं कि वह इस आदेश के पारित होने की तारीख से दो महीने के भीतर विवाद को उचित श्रम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए भेजें।कोई लागत नहीं।

माननीय ए. पी. चौधरी *और स्वतंत्र कुमार, न्यायाधीश*

Mohd. Arnmed Ilyas *v.* Haryana Tourism Corporation and others (N. K. Kapoor, J.)

सरिता कुमारी और अन्य-याचिकाकर्ता,

बनाम

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य,-उत्तरदाता।

1994 का सी. *डब्ल्यू.* पी. सं. 13299।

15दिसंबर, 1994।

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद।226/227–आपराधिक *मुकदमे* विचाराधीनता *रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही पर रोक-रोक के लिए दिशानिर्देशों में कहा गया है-जहां आरोप-पत्र और दंडात्मक कार्यवाही का दायरा अलग है, घरेलू जांच पर रोक अनुचित है-दोनों कार्यवाही समान रूप से चल सकती हैं जहां ऐसी कार्यवाही आपराधिक मुकदमे को प्रभावित नहीं करती है।*

निर्धारित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही यह आवश्यक है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नियोक्ता को आपराधिक न्यायाधीशालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।हमने देखा है कि वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. दर्ज करने और उक्त आरोप-पत्र की तामील करके विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए तथ्यों का एक ही

समूह आधार नहीं है।आरोप-पत्र मुख्य रूप से सी. सी. आर. पुस्तक में की गई गलत प्रविष्टियों को नजरअंदाज आरोप-पत्रने, प्रासंगिक अवधि के दौरान एस. सी. ए. रजिस्टर प्रविष्टियों के कुल मिलान को जानबूझआरोप-पत्र टालने और सी. सी. आर. पुस्तक के दैनिक योग को प्राप्त न आरोप-पत्रने को संदर्भित आरोप-पत्रता है।आरोप-पत्र में यह संकेत दिया गया है कि याचिकाआरोप-पत्रता अपने प्रमुख आरोप-पत्रतव्यों से बच रहे हैं और ये कार्य कदाचार का गठन आरोप-पत्रते हैं और यह

Mohd. Arnmed Ilyas *v.* Haryana Tourism Corporation and others (N. K. Kapoor, J.)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा